सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

कल्याणसिंह बनाम परबतसिंह

राजस्व वाद संख्या 127/2019

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
29.11.19	पत्रावली पेश हुई। वादीगण के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय उप0। वादीगण के अधिवक्ता को सुना गया। वादीगण ने उक्त वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त एवं पुश्तैनी खातेदारी की विभाजित भूमि खेत खसरा नम्बर 194 रकबा 171.03 बीघा, मौजा हाथीसिह का गांव पटवार मण्डल हाथीसिह का गांव, पटवार मण्डल हाथीसिह का गांव तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 249 रकबा 217.15 बीघा मौजा विरधसिह की ढाणी, पटवार मण्डल नागडदा तह0 शिव में वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व0 आईदानसिंह पुत्र खुशालसिंह के नाम से आई हुई थी। जो उनके देहावसान पर प्रतिवादी संख्या 1 को विरासती हिस्से अनुसार प्राप्त हुई। जिसका राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद विरासत के नामान्तरकण की स्वीकृति से हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी वर्तमान में विभाजित होकर नवसृजित ग्रामो हाथीसिंह का गावं एवं विरधसिंह की ढाणी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वर्तमान में खेत खसरा नम्बर 194 रकबा 171.03 बीघा वाके मौजा हाथीसिह का गांव, पटवार मण्डल हाथीसिंह का गांव (प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/6), तथा खेत खसरा नम्बर 249 रकबा कमशः 217.15 बीघा (प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/3) वाके मौजा विरधसिंह की ढाणी, पटवार मण्डल नागडदा तह0 शिव में आई हुई है। वादीगण जाति से राजपुत होने से हिन्दू विधि से शासित होते है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी एवं सहदायिकी की होने के कारण उक्त भूमि पर वादीगण का जन्मतः हक है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की औलादें हैं किन्तु वादीगण के पितामह आईदानसिंह पुत्र खुशालसिंह के फोत होने पर दायर नामान्तकरण में केवल प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज होने से राजस्व रेकर्ड में भी वादीगण के नाम दर्ज नहीं हुए अतः वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ स्वयं को सहखातेदार घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। वाद पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के संबंध में पुश्तैनी रेकर्ड में खतोनी बन्दोबस्त का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अजखुद उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया तथा माफिक वाद स्वयं के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किये जाने मे अपनी सहमति व्यक्त की वादीगण ने बतौर साक्ष्य अपना	

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

पक्षकारन ने अपने बयान कलमबद्व करवाये ओर दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदिया, खतोनीबन्दोबस्त व संरपच ग्राम पंचायत हाथीसिंह का गांव द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है।

हमने वाद के तथ्यों पर दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गंम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी की खतोनी बन्दोबस्त ग्राम कोटडा, व साजीतडा तहसील शिव के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी एवं सहदायिकी सम्पति की है। जो उन्हें आईदानसिह पुत्र खुशालसिह से विरासत मे प्राप्त हुई थी। संरपच द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार परबतसिंह के दो पुत्र– कल्याणसिंह व रूपसिंह है और इनके अतिरिक्त परबतसिह के अन्य कोई जीवित या मृत वारिस नहीं है और पुश्तैनी भुमि के आधार पर वादीगण का उक्त भूमि पर जन्मतः हक है मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों से वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 194 रकबा 171.03 बीघा, मौजा हाथीसिह का गांव पटवार मण्डल हाथीसिह का गांव, तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य खातेदारान के खेत खसरा नम्बर 249 रकबा 217.15 बीघा मौजा विरधसिह की ढाणी, पटवार मण्डल नागडदा तह0 शिव की भूमि में प्रत्येक वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहहिस्सा बराबर का सह खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तदुनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

डिक्री पर्चा
(आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव जिला बाडमेर

राजस्व वाद सं. 127/2019

वदीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कल्याणसिह पुत्र परबतसिंह 2. रूपसिंह पुत्र परबतसिह जाति– राजपुत, नि0 हाथीसिंह का गांव तह0 शिव (वादी संख्या 1 व 2 नाबालिग की कुदरति वालिया माता श्रीमती धपूकंवर पत्नी परबतसिह)		1. परबतसिह पुत्र कानसिंह 2. मानसिह पुत्र कानसिंह 3. श्रीमती समदाकंवर पत्नी कानसिह 4. गेमरसिंह पुत्र गुमानसिह 5. सबलसिह पुत्र गुमानसिह जाति– राजपुत, नि0 हाथीसिह का गांव, तह0 शिव 6. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई. शाखा शिव

अधिवक्तागण –वादी वकील – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92, 40, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं की उपस्थिति में आज तारीख 29.11.2019 को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) शिव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण का वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 194 रकबा 171.03 बीघा, मौजा हाथीसिह का गांव पटवार मण्डल हाथीसिह का गांव, तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य खातेदारान के खेत खसरा नम्बर 249 रकबा 217.15 बीघा मौजा विरधसिह की ढाणी, पटवार मण्डल नागडदा तह0 शिव की भूमि में प्रत्येक वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहहिस्सा बराबर का सह खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावी रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाडमेर

सहायक कलक्टर
शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 16:25:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: